The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 4 | April 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

दण्ड मुक्त न्याय युक्त नवीन आपराधिक विधिः एक सूक्ष्म अवलोकन

प्रो० अशोक कुमार राय

विधि संकायाध्यक्ष

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

डॉ0 सन्तोष कुमार

विधि संकाय

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :
विधि, आपराधिक विधि, दण्ड, न्याय

ABSTRACT

विधि मानव आचरण को विनियमित करती है। सामान्य मानव की प्रवृत्ति अत्यंत चंचल होती है, इसका प्रभाव उसके आचरण पर भी होता है। आचरण का विनियमन आत्मानुशासन के द्वारा भी किया जाता है, धर्म इसका पथ प्रदर्शन करता है। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार चार पुरूषार्थ में धर्म का स्थान प्रथम है। धर्म इस रूप में कर्तव्य–अकर्तव्य का बोध कराता है, यह आत्मानुशासन की प्रक्रिया है इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, इस प्रकार यह स्वैच्छिक है। किंतु विधि मानव आचरण को विनियमित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसे राजकीय शक्ति से बल प्राप्त होता है। यह अपनी शक्ति के अनुरूप व्यक्ति के आचरण विनियमन में हस्तक्षेप कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। आपराधिक विधि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुधा दण्ड का प्रावधान करती है, इसका विषय क्षेत्र मनुष्य का ऐसा आचरण होता है जिसे सम्बन्धित समाज बिल्कुल सहन नहीं करना चाहता, ऐसे आचरण के प्रति सम्बन्धित जनवर्ग की सहिष्णुता शून्य होती है। इसी भावना के अनुरूप उक्त आचरणों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सम्बन्धित दोषपूर्ण कृत्य से प्राप्त सुख को दुख में

परिवर्तित करने हेतु दण्ड का विधान किया जाता है। इस प्रकार दण्ड न्याय का साधन बन जाता है। किंतु दण्ड का निर्धारण करते समय दण्ड के उद्देश्यों एवं अपराध की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है अन्यथा सम्बन्धित आपराधिक विधि न्याय प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। 'न्याय' शब्द ऐसे प्रत्याशा का बोधक है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि यथाअपेक्षित उसके पक्षों को सुना जाएगा और उस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा तद्नुरूप बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्सम्बन्धित विषय पर निर्णय होगा। इसी प्रवृत्ति के साथ 'न्याय' की सहज स्वीकार्यता है। न्याय का दावा करने पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित समझता है। इसीलिए न्याय का दावा सर्वथा अनापत्ति योग्य होता है। नवीन आपराधिक विधि में न्याय को प्रमुखता देने का दावा किया गया है, ऐसा प्रयास सराहनीय है। प्रस्तुत लेख में नवीन आपराधिक विधि का विवेचन गागर में सागर की भाँति करने का प्रयास किया गया है, यह परीक्षण करने का प्रयास किया गया है कि नवीन आपराधिक विधि किस सीमा तक न्याय प्राप्ति को सुनिश्चित करने में सफल हो सकेगी।

देश हित सर्वोपरि है। हमारी संसद ने आपराधिक न्याय प्रणाली में तीन नए कानून बनाकर देश हित में ठोस कदम उठाए हैं। ये कानून–भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 न्याय के अद्वितीय भारतीय लोकाचार पर आधारित हैं दण्ड पर नहीं। इस प्रकार ये काल सापेक्ष हैं। ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। पहले के कानूनों का उद्देश्य मुख्यतः ब्रिटिश शासकों की सुरक्षा करना था। अब, एक नया युग शुरू हो गया है, जो 'नागरिक पहले–न्याय पहले–गरिमा पहले के सिद्धान्तों पर आधारित है। राजद्रोह के सम्बन्ध में दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अपने विचार साझाा करने वालों को दण्डित नहीं करता है।

नए कानूनों में कई उल्लेखनीय समावेशन हैं, जैसे–महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने की प्रमुखता। वे विभिन्न अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं और आतंकवाद तथा संगठित अपराध को संबोधित करने के लिए नई दण्ड धाराएँ पेश करते हैं। जीरो–एफआईआर और ई–एफआईआर को शामिल करने से पुलिस की आसान पहुँच सुनिश्चित होती है और एफआईआर दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र दाखित करने तक की यात्रा के लिए एक विशिष्ट समय रेखा निर्धारित करना, समयबद्ध तरीके से न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि कानून के शासन को भी मजबूती से कायम रखे। इन कानूनों को जांच के लिए आधुनिक संचार उपकरणों को अपनाकर एक जवाबदेह पुलिस प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। केन्द्र सरकार ने पुराने आपराधिक कानूनों को खत्म कर दिया है। इसके पीछे मंशा लोगों को सहूलियत प्रदान करना है। जहाँ जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए।

समय भी न्याय की प्रकृति पर निर्मम प्रहार करता है, बहुधा विलम्ब से किया गया न्याय तो न्याय भी नही रह जाता। समय पर न्याय दिलाने के लिए निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं–

1. कानून लागू होने के बाद अधिकतम 3 साल में न्याय मिल जाएगा, तारीख पर तारीख से मुक्ति मिलेगी। 2. 45 धाराओं में टाइमलाइन जोड़ी गई है। 3. इलेक्ट्रानिक माध्यम से शिकायत करने पर 3 दिन में एफआईआर दर्ज होगी। 4. रेप के मामलों की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। 5. पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय होंगे। 6. अनुपस्थिति की स्थिति में घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिनों की भीतर मुकदमा दर्ज होगा। 7. आपराधिक मामलों में मुकदमें की समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर निर्णय देना होगा। 8. अभियोजन की मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, कार्यवाही, मुक्ति याचिका दायर करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य किया गया है। 9. आपराधिक कार्यवाही में दो से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। 10. समन जारी करने, अमल करने और अदालत के समक्ष साक्ष्य जमा करने के लिए प्रौद्यौगिकी का उपयोग अदालती कार्यवाही से जुड़ी अनावश्यक देरी को दूर करता है।

नवीन आपराधिक विधि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना निम्नवत् है–

नवीन आपराधिक विधि दण्ड नहीं न्याय केंद्रित है, जिसकी प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है– 1. सामुदायिक सजाः 6 अपराधों में कम्यूनिटी सर्विसेज को समाहित किया गया है, 2. भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप 5000 रूपए से कम मूल्य की संपत्ति चोरी पर कम्यूनिटी सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। नए कानून, हमारी सभ्यता और संस्कृति में रची बसी न्याय की अवधारणा पर आधारित है, यह देश के नागरिक को न्याय देगी। इससे पूर्व कानून केवल दोषी को दण्ड देने पर केंद्रित थे। 'न्याय' शब्द का परिप्रेक्ष्य काफी विस्तृत है, जिसके अन्तर्गत पीड़ित ओर अपराधी दोनों शामिल हैं। भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अंब्रेला टर्म है। न्याय की अवधारणा में आपराधिक घटना से प्रभावित समस्त जन सम्मिलित है, यह समावेशी दृष्टिकोण के साथ है। ये कानून आपराधिक न्याय तंत्र को पहले से अधिक सुगम, सुलभ और सहज बनाते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित अधिकारों का विस्तार किया गया है और पीड़ित की परिभाषा को आरोपी केंद्रित दृष्टिकोण से अलग कर दिया गया है। नए कानून में गवाहों को बिना किसी डर, धमकी, पक्षपात या प्रलोभन के सबूत पेश करने की सुरक्षा देकर न्याय वितरण को बढ़ावा देने के लिए गवाह संरक्षण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

नवीन आपराधिक विधि महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित कानून है, जिसकी अभिव्यक्ति निम्नवत् है– 1. महिलाओं व बच्चों के अपराध से सम्बन्धित 37 धाराएँ हैं जिनमें लगभग 4 नए प्रावधान है और शेष में कतिपय संशोधन किए गए हैं। 2. महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के एक नए अध्याय–5 के तहत समेकित किया गया है। **3.** 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के सामूहिक दुष्कर्म मामलें में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है। **4.** झूठे वादे या छिपी हुई पहचान के तहत यौन सम्बन्ध बनाना अब एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। **5.** यदि किसी महिला की अंतरंग गतिविधियों में ताक–झाँक और हमला करने के आशय से निर्वस्त्र किया जाता है तो वह अपराध है, अपराधी चाहे किसी भी लिंग का हो। **6.** अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा हो तो उसके बदले परिवार की व्यस्क महिला को समन दिया जा सकता है। **7.** चिकित्सकों को बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी अनिवार्य है। **8.** यौन अपराधों के लिए यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, वहाँ किसी

महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाएगा। **9.** किसी भी अपराध को करने के लिए बच्चों को काम पर रखना, नियोजित करना या संलग्न करना दण्डनीय बनाया गया है। **10.** बच्चों के अपहरण, खरीद–फरोख्त के अपराध में लड़की और लड़के दोनों के लिए एक समान उम्र का प्रावधान है। **11.** नाबालिक लड़की की खरीद के अपराध और विदेश से लड़की के आयात के अपराध में लड़की और लड़के दोनों को शामिल कर इसे लिंग तटस्थ बना दिया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन की व्यवस्था निम्नानुसार की गई है– राज्य और जिले दोनों स्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन का प्रावधान किया गया है। बीएनएसएस की धारा 20 द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रासिक्यूशन की स्थापना की गई है और इसके तहत विभिन्न प्राधिकरणों की पात्रता, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित किया गया है। प्रॉसिक्यूशन अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। जिससे डिजायर्ड कोआर्डिनेशन सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार के विवेक के अनुसार, प्रॉसिक्यूशन संबंधी एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट स्थापित करने का भी प्रावधान है। निदेशक प्रॉसिक्यूशन, उप निदेशक प्रॉसिक्यूशन और सहायक निर्देशक प्रॉसिक्यूशन की नियुक्ति के मानदंड को संशोधित किया गया है। अभियोजन के जिला स्तर के अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और अपील दायर करने की व्यवहार्यता पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।

प्रक्रियात्मक विधि में ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान किया गया है– मुकदमें में तेजी लाने के लिए, अदालत द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करना आरोप तय होने से 90 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। घोषित अपराधियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के मामलों को संबोधित करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने का प्रावधान किया गया है। साक्ष्य की प्रस्तुति से लेकर अंतिम निर्णय और उचित सजा के निर्धारण तक अनुपस्थिति ढांचे में ही मुकदमा पूरी न्यायिक प्रक्रिया को शामिल करता है। राज्य के खर्च पर घोषित अपराधी को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ–साथ मुकदमें के दौरान फरार व्यक्ति के उपस्थित होने पर साक्ष्य की जांच करने की अनुमति देकर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की गयी है।

आधुनिकीकरण के युग में तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है– 1. इसका उद्देश्य विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनानी है जिसमें 100 साल तक आने वाली सभी आधुनिक तकनीक

इसमें समाहित हो सकेंगी। **2.** पुलिस इन्वेस्टीगेशन से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत होगी। **3.** ई रिकार्ड्स, जीरो एफआईआर, ई–एफआईआर, चार्जशीट डिजिटल होगी। **4.** 90 दिन में पीड़ित को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा। **5.** फोरेंसिक जाँच को 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में अनिवार्य किया गया है। **6.** पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। **7.** बलात्कार पीड़िता के लिए ई–बयान, ई–पेशीः गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़िता की उपस्थिति इलेक्ट्रानिक माध्यम से सुनिशिचित की गई है। **8.** कोर्ट में प्रगति और कार्यवाही की ऑडियो–विडियो रिकॉडिंग प्रस्तुत की जाएगी।

फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है– जाँच में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सम्बन्धित इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष में तैयार होगा। फोरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जगह–जगह लैब बनाया जाएगा। नए कानून में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन अनिवार्य किया गया है। 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर का लक्ष्य तय किया गया है।

न्यायधीशों से सम्बन्धित प्रावधान निम्नवत् हैं– पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। न्याय में तेजी के साथ–साथ न्याय प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बहस पूरी होने पर 45 दिन में निर्णय देना होगा। तृतीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सहायक सत्र न्यायाधीशों के पद को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। अब 4 प्रकार के न्यायाधीश होंगे। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं) सत्र न्यायाधीश इसमें अतिरिक्त मुख्य सत्र न्यायाधीश और कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रूपये कर दिया गया है। मजिस्ट्रेटों के इन दो वर्गों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा अधिरोपित का भी अधिकार दिया गया है। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये बिना भी पुलिस रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। मजिस्ट्रेटों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आवश्यकता के बिना अपनी लिखावट, उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने देने का निर्देश देने का अधिकार है।

मॉब लिंचिंग से सम्बन्धित विधि का स्वरूप निम्नवत् है– 1. पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। 2.नस्ल/जाति/समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि से प्रेरित हत्या/गंभीर चोट को मॉब लिंचिंग माना गया है। 3. पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 7 वर्ष की जेल हो सकती है अथवा आजीवन करावास की सजा हो सकती है।

नवीन विधि विक्टिम–सेंट्रिक है, यथा पीड़ित (विक्टिम) को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। सूचना का अधिकार और नुकसानी के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया है। जीरो एफआईआर दर्ज करने को संस्थागत किया गया है। अब एफआईआर कहीं भी दर्ज किया जा सकता है। पीड़ित को एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। विक्टिम को 90 दिनों के भीतर जांच में प्रगति के बारे में सूचित करना पड़ेगा। नए कानून में 'पीड़ित' शब्द को परिभाषित करने में आरोपी–केंद्रित दृष्टिकोण को हटा दिया गया है। पीड़ित पुलिस दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार है। अभियोजन वापसी के चरण में पीड़ित के भागीदारी के अधिकार को मान्यता दी गई है।

संगठित अपराध के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गई है–1. इंटर–स्टेट गैंग्स और आतंकवादियों के साथ जुड़े इंटर–स्टेट गैंग्स को खत्म करने की व्यवस्था की गई है। 2. नए कानून में संगठित अपराध से संबंधित एक नई दांडिक धारा जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। 3. कानून अब सिंडिकेट्स द्वारा संचालित अवैध गतिविधियों को दंडित करता है, जिसमें भूमि पर कब्जा करना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियारों जैसे अपराध शामिल हैं। 4. संगठित अपराध के विभिन्न पहलुओं को भी दंडित किया गया है, जैसे–उकसाना, साजिश, प्रयास, सदस्यता, अपराधी को शरण देना या छिपाना और संगठित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करना। 5. छोटे संगठित अपराध में किसी गिरोह या समूह द्वारा चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत ब्रिक्री और सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्र, अनधिकृत जुआ और सट्टेबाजी आदि की गतिविधियाँ शामिल हैं। 6. सीमा पार अपराध को संहिता बद्ध किया गया है। 7. बड़े पैमाने पर जनता या बैंकिंग/वित्तीय संस्थान को धोखा देना दण्डनीय घोषित किया गया है। संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करना एक अपराध घोषित किया गया है।

राज्य के विरूद्ध अपराधों में राजद्रोह अब अपराध नहीं है– 1. गुलामी की निशानी को समाप्त किया गया है। अंग्रेजों का राजद्रोह कानून राज्यों (देश) के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए था। लेकिन, देश विरोधी हरकतों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। **2.** भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य करने पर 7 साल तक या आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। **3.** आईपीसी में 'आशय या प्रयोजन' की बात नहीं थी, लेकिन नए कानून में देशद्रोह के परिभाषा में 'आशय' की बात है। जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हेतु सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। **4.** केवल सरकार के प्रति अप्रसन्नता या सरकार के प्रति अवमानना/घृणा दिखाना अब नए कानून के तहत काई अपराधिक कृत्य नहीं है।

पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रावधान किए गए है– सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान शुरू किया गया है। तीन साल से कम कारावास के लिए और यदि गिरफ्तार व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक या विकलांग है, तो डिप्टी एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य है। गिरफ्तारी, तलाश, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएँ जोड़ी गई हैं। प्रारंभिक जांच का प्रावधान पहली बार पेश किया गया है। गैर–संज्ञेय मामलों में, दैनिक डायरी रिपोर्ट पाक्षिक रूप से मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

आतंकवाद के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गई है– भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करके इसे दण्डनीय अपराध बना दिया गया है। आतंकी कृत्य मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के साथ दण्डनीय है। संपत्ति की क्षति या विनाश, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान, भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान, और भारत की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली भारत या विदेश में किसी भी संपत्ति को नष्ट करने जैसी गतिविधियां आतंकवादी गतिविधि में शामिल हैं। आतंकवादी कृत्यों में प्रशिक्षण देने के लिए, किसी व्यक्ति को भर्ती करने के लिए और आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को ऐसे कृत्यों के लिए दण्डनीय बनाया गया है। आतंकवादी कृत्य से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करना दण्डनीय बनाया गया है।

साक्ष्यों के संबंध में तकनीक को बढ़ावा देने हेतु निम्न व्यवस्था की गई है– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें इलेक्ट्रानिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए और अधिक मानक जोड़े गए, जिसमें इसकी उचित कस्टडी–स्टोरेज–ट्रांसमिशन–ब्रॉडकास्ट पर जोर दिया गया है। दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकरोक्ति और एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने के लिए और अधिक प्रकार के साक्ष्य जोड़े गए, जिनकी जांच अदालत द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई है। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड की सत्यता स्थापित करने के लिए अब किसी विशेषज्ञ के अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। संग्रहीत, प्रेषित, स्थानांतरित या प्रसारित इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड के विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के दायरे को काफी विस्तारित किया गया है।

न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने लिए निम्न व्यवस्था की गई है– अब छोटे–मोटे व कम गंभीर वाले मामलों में समरी ट्रायल अनिवार्य किया गया है। 3 वर्ष तक की सजा में मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है। सिविल सर्वेन्ट्स के खिलाफ मुकदमा के संबंध में फैसला 120 दिन में लेना होना। आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, संज्ञान, चार्जेज, प्ली बारगेनिंग, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति, ट्रायल, जमानत, जजमेंट और सजा, दया याचिका आदि के लिए एक समय–सीमा निर्धारित की गई है। 45 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है, जिससे स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस संभव होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के माध्यम से शिकायत देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर एफआईआर को रिकॉर्ड पर लाया जाना होगा। किसी भी आपराधिक न्यायालय में मुकदमें की समाप्ति के बाद निर्णय की घोषणा 45 दिनों के भीतर करनी होगी। समन मामलों में डिस्चार्ज प्रावधान शुरू किया गया है। डिस्चार्ज आवेदन, चार्ज निर्धारण आदि के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है।

अंडरट्रायल कैदी के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गई है– पहली बार अपराधी के लिए अभिरक्षा की अधिकतम अवधि में कमी लाई गई है। कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है, और 'एक तिहाई अधिकतम कारावास' काट चुका है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में

जेल अधीक्षक जमानत के लिए अविलंब कोर्ट को लिखित में आवेदन कर सकता है। विचाराधीन कैदी को आजीवन करावास या मौत की सजा में रिहाई उपलब्ध नहीं होगी।

गवाहों की सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गई है– राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह संरक्षण योजना/डब्ल्यूपीएस तैयार और अधिसूचित करना होगा। गवाहों की सुरक्षा को भी नए कानून में शामिल किया गया है और इसके लिए इलेक्ट्रानिक मोड से सबूत इकट्ठा करने और बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति है। नए कानूनों के केन्द्र में देश के नागरिकों के संविधान–प्रदत्त अधिकार, उनके मानवाधिकार और उनकी स्वयं की रक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक राज्य गवाह सुरक्षा योजना की तैयारी और अधिसूचना को अधिदेशित करता है। गवाह सुरक्षा योजना एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहाँ गवाह डर या दबाव के बिना कानूनी प्रक्रिया में योगदान कर सकते हैं। महेन्द्र चावला बनाम भारत संघ मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत् अनुमोदित गवाह संरक्षण योजना 2018 राज्यों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है जिसे संहिताबद्ध किया गया है।

घोषित अपराधियों पर कार्यवाही की व्यवस्था की गई है– 10 वर्ष अथवा अधिक की सजा अथवा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड की सजा वाले मामलों में दोषी को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया जा सकता है। नए कानून में घोषित अपराधियों के मामलों में, भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। घोषित अपराधियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है।

नए आपराधिक कानूनों में तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रावधान किया गया है– नए कानून में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है ओर ई–एफआईआर पर जोर दिया गया है। पुलिस अधिकारी को 90 दिनों में डिजिटल माध्यमों से पीड़ित को जानकारी देनी होगी। फोरेंसिक को बढ़ावा देते हुए अपराध स्थलों का दौरा और सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में वीडियोग्राफी द्वारा साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया अथवा किसी संपत्ति का अधिग्रहण करने में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी होना अनिवार्य है। बलात्कार पीड़िता का बयान ऑडियो/वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज (रिकॉर्ड) किया जा सकता है। सभी तलाशी ओर जब्ती प्रक्रियाओं की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी।

आरोपी, पीड़ित और गवाहों द्वारा साक्ष्य जमा करने के लिए ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड का उपयोग किया जाएगा। समन और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लिया जाएगा।

पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया अथवा किसी साक्ष्य का अधिग्रहण करने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी की जाएगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग बिना किसी विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती है। जांच के दौरान, अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने और फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के बाद ऐसी संपत्तियों के त्वरित निपटान का प्रावधान किया गया है। फोटो या वीडियोग्राफी किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। फोटो खींचने/वीडियोग्राफी करने के 30 दिनों के भीतर, संपत्ति के निपटान, डिस्ट्रक्शन, जब्ती या वितरण का आदेश दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त नवीन आपराधिक विधि की कतिपय अन्य विशेषताएँ निम्नवत् है– 1. भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी की जगह लेगा, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएँ होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 10 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेगा, में अब 531 धाराएँ रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 15 धाराओं को निरस्त किया गया है। 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट की जगह लेगा, में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धारा जोड़ी गई है और 11 धाराएं निरस्त की गई हैं। 4. प्राथमिक जांच रिपोर्ट से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से न्याय मिलने तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। 5. 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की उपस्थिति को अनिवार्य किया जा रहा है, इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 6. यौन हिंसा के मामलें में पीड़ित का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो

रिकॉर्डिंग भी अब जरूरी कर दी गई है। **7.** पुलिस को 90 दिनों में जांच का स्टेटस पीड़ित को दना अनिवार्य होगा। **8.** पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। **9.** छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे, इस अकेले प्रावधान से ही सेशन्स कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। **10.** 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार के कामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है, मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दण्ड का प्रावधान रखा गया है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सदाशयता के साथ सुधार हेतु व्यापक परिवर्तन किए गए है किंतु विधि के परिवर्तन के साथ–साथ समाज की सोच परिवर्तित नहीं होती। समाज के सोचने का अपना अलग दृष्टिकोंण होता है। समाज आरोपी को ही प्रथम दृष्टया अपराधी मान लेता है। अपराधी के प्रति क्रूर एवं निमर्म व्यवहार की अपेक्षा करता है और ऐसा करने पर ऐसे कृत्य की सराहना करता है। न्याय में पीड़ित के साथ–साथ अपराधी को सम्मिलित किए जाने पर पीड़ित हतोत्साहित होगा और पीड़ित के प्रति समाज की सहानुभूति होगी। जनतंत्र में जनता की सामूहिक सहानुभूतिक भाव को नजर अंदाज करना किसी भी प्रणाली के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में सम्बंधित विधि के संहिताबद्ध स्वरूप एवं अनुप्रयोग में अंतर दिखेगा। फिर भी प्रस्तुत प्रयास उपनिवेशवाद की भावना से मुक्त होने के क्रम में प्रशंसनीय है। शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया प्रयास भी उल्लेखनीय है। सूचनाक्रांति के युग में आधुनिक तकनीकों का अनुप्रयोग सुनिश्चित कर बदलते युग के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास स्वाभाविक एवं औचित्यपूर्ण है। प्रयास प्रशंसनीय है, परिणाम एवं प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन समय के साथ करना शेष रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
7. सदरलैण्ड एडविन एच, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी
8. मनुस्मृति, भाष्यकार तुलसी राम स्वामी
9. के.एन. चन्द्रशेखरन पिल्लई, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ
10. प्रो0 एस0एन0 मिश्रा, इण्डियन पीनल कोड
11. रतनलाल, धीरजलाल, द इण्डियन पीनल कोड
12. डॉ0 हरि सिंह गौर, पीनल लॉ ऑफ इण्डिया, लॉ प्बलिशर्स प्रा0 लि0